राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08/2022

दायरा तिथि : 03/03/2022

निर्णय :- 10-11-25

केशर देवी वनाम ओमप्रकाश आदि

राजस्व वाद विभाजन

1 केशर देवी पत्नी जेठाराम जाति अहीर (यादव) निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)

– वादीनी

वनाम

1 स्व. ओमप्रकाश पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी ग्राम खरखोदा तहसील खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा

2 जितेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथमल जाति जाट निवासी ग्राम नया वास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

3 ताराचन्द पुत्र भागीरथ सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नया बास तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

4 पृथ्वीराज पुत्र ठाकर जाति दर्जी निवासी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

5 बलजीत पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम खरखोदा तहसील खारखोदा जिला सोनीपत हरियाणा

6 मनोहरी पुत्री ठाकर जाति दर्जी निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

7 रामप्यारी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासीनी कस्बा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

8 स्व. सुरजीत पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम खरखोदा तहसील खारखोदा जिला सोनीपत हरियाणा

8/1 सुनीता पत्नी स्व. सुरजीत जाति जाट निवासी ग्राम खरखोदा तहसील खारखोदा जिला सोनीपत हरियाणा

8/2 हरीश पुत्र स्व. सुरजित जाति जाट निवासी ग्राम खरखोदा तहसील खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा

8/3 रवि पुत्र स्व. सुरजित जाति जाट निवासी ग्राम खरखोदा तहसील खरखोदा जिला सोनीपत हरियाणा

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. रघुवीर भामू, एडवोकेट वास्ते वादी
2. तहसीलदार, बीदासर वास्ते पैरोकार राज.

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

दिनांक 10-11-25

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, वादीनी के द्वारा राजस्व वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि खेत खसरा नम्बर 1219 तादादी 11.1794 हेक्टेयर वाके रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त भूमि संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत है, जिसका विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि में केशर देवी पत्नी जेठाराम जाति अहीर यादव निवासीनी बीदासर का 29467/88400 हिस्सा के संयुक्त अविभाजित खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त भूगि खातेदारान के मध्य मौखिक वंटवारे के मुताविक अपने-अपने हिस्से मुताबिक काश्त करते आ रहे हैं, जब तक उक्त खेत खसरा भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। उपरोक्त भूमि में वादीनी का 29467/88400 हिस्सा अविभाजित दर्ज है। जिसका अपने हिस्सा अनुसार अलग से विभाजन कर सीमा कायम करवाने व अलग लगान कायम करवाने व उसके मालिकाना अधिकारों का वादीनी कानूनी अधिकार रखती है। आदि-आदि वादीनी का वाद पेश किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज एवं वादीनी के सशपथ वयानों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22/04/2025 को प्रारम्भिक आदेश फरमाया जाकर उपरोक्त खसरों का तहसीलदार बीदासर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेश जारी कर प्रारम्भि डिक्री जारी की गई।

प्रारम्भिक डिक्री के आदेश के मुताबिक तहसीलदार बीदासर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 16/10/2025 को इस न्यायालय में पेश किया, जिस पर पक्षों को सुना गया। उभय पक्षकारान आपस में सहमत हैं, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार हमारा विभाजन का आदेश प्रदान किया जावे।

पक्षकारों की बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16/10/2025 का अवलोकन किया गया, जिसके मुताबिक वादीनी केसर देवी पत्नी जेठाराम जाति अहीर (यादव) निवासी बीदासर का खेत खसरा संख्या 1219 मिन तादादी 3.6045 हेक्टेयर पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण तरफ की अलग खातेदारी दर्ज की जावे व वादीनी के हिस्सा-पांति भूमि में आवागमन का रास्ता प्रतिवादीगणों के हिस्सा-पांति भूमि जो विभाजन के नक्शा में अंकितानुसार उतरी सींव के पास-पास पूर्व से पश्चिम तक जो डामर सड़क तक रहेगा तथा शेष खातेदारान प्रतिवादीगणों का हिस्सा-भूमि खसरा नम्बर 1219 मिन तादादी 7.2089 हेक्टेयर संयुक्त रूप से खातेदारी में रखा जाता हैं। खसरा नम्बर 1219 मि तादादी 0.3660 हेक्टेयर आवागमन का रास्ता जो प्रतिवादीगण के हिस्सा-पांति भूमि में से जो उतरी सींव के पास-पास पूर्व से पश्चिम तक रास्ता दर्ज किया जावे। इस प्रकार वादीनी का वाद स्वीकार कर वादीनी की खातेदारी वादीनी अकेले के अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे तथा शेष खातेदारान प्रतिवादीगण की मुताबिक वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के हिस्सा अनुसार खातेदारी संयुक्त रखते हुए उनकी संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। इसी प्रकार विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा इस निर्णय का भाग रहेगा।, इस प्रकार वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

वादीनी का वाद जरीये विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार अंतिम रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 1219 तादादी 11.1794 हेक्टेयर रोही बीदासर में वादीनी केसर देवी पत्नी जेठाराम जाति अहीर (यादव) निवासी बीदासर का खेत खसरा संख्या 1219 मिन तादादी 3.6045 हेक्टेयर पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण तरफ की अलग खातेदारी दर्ज की जावे तथा शेष खातेदारान प्रतिवादीगणों का हिस्सा-भूमि खसरा नम्बर 1219 मिन तादादी 7.2089 हेक्टेयर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव कें अनुसार हिस्सा पांति है को संयुक्त रूप से खातेदारी में रखा जाता है। जो विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दर्ज किया जावे। खसरा नम्बर 1219 मिन तादादी 0.3660 हेक्टेयर वादीनी के हिस्सा-पांति भूमि में आवागमन का रास्ता जो प्रतिवादीगण के हिस्सा-पांति भूमि के उतरी सींव के पास-पास पूर्व से पश्चिम तक डामर सड़क तक रहेगा। इस प्रकार वादीनी का वाद स्वीकार कर वादीनी की अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे तथा शेष खातेदारान प्रतिवादीगण की खातेदारी संयुक्त रखते हुए उनकी संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खातेदारों के आवागमन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के दर्ज रखा जावे। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी हो खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 10-11-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर

अंतिम डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर

इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

केसर देवी वनाम ओमप्रकाश आदि

राजस्व वाद विभाजन

मुकदमा नम्बर 08 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू–ब–रू .... हाजरी वादीनी वकील रघुवीर भामू व पैरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीनी का वाद जरीये विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के अनुसार अंतिम रूप से इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 1219 तादादी 11.1794 हेक्टेयर रोही बीदासर में वादीनी केसर देवी पत्नी जेठाराम जाति अहीर (यादव) निवासी बीदासर का खेत खसरा संख्या 1219 मिन तादादी 3.6045 हेक्टेयर पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण तरफ की अलग खातेदारी दर्ज की जावे तथा शेष खातेदारान प्रतिवादीगणों का हिस्सा–भूमि खसरा नम्बर 1219 मिन तादादी 7.2089 हेक्टेयर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव कें अनुसार हिस्सा पांति है को संयुक्त रूप से खातेदारी में रखा जाता है। जो विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दर्ज किया जावे। खसरा नम्बर 1219 मिन तादादी 0.3660 हेक्टेयर वादीनी के हिस्सा–पांति भूमि में आवागमन का रास्ता जो प्रतिवादीगण के हिस्सा–पांति भूमि के उतरी सींव के पास–पास पूर्व से पश्चिम तक डामर सड़क तक रहेगा। इस प्रकार वादीनी का वाद स्वीकार कर वादीनी की अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे तथा शेष खातेदारान प्रतिवादीगण की खातेदारी संयुक्त रखते हुए उनकी संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। विमाजन प्रस्ताव पेश हुआ, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा इस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खातेदारों के आवागमन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व नक्शा के दर्ज रखा जावे। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी हो खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 10/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

चीज ....—........ मुबलिग ....—........ बाबत ....—........

खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—........ को अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....10.... माह ....11.... 20 25

मुहर

दस्तखत ....

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा ....

बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
म्हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बवत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी

बीदासर (चूरू)